न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 64 / 2021

मंदिर मूर्ति श्री बद्रीनाथ जी महाराज जरिये महन्त धर्मचन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी पंडा मौहल्ला पहाडी, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

लखनसिंह पुत्र रामस्वरुप जाति गूजर निवासी सुहेरा तहसील डीग जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 4 / 2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी।

उपस्थित :–

1–श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,

2–श्री गोबिन्द सिंह डांगुर, अभिषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 24.5.2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी पहाडी के यहॉ इस आश्य का पेश किया कि खसरा नम्बर 3260 / 4.05 ग्रांम पहाडी में से अपने अपने खेत खसरा नम्बर 3184 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम कराया जावे। प्रार्थी अपनी आराजी पर काश्त वगे.के लिये प्रार्थी आराजी के वजानिव दक्षिण अप्रार्थी का खसरा नम्बर 3260 / 4.05 में से आता जाता रहा है। प्रार्थी के खेते पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के हितों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रार्थी के निवेदन करने पर भी वे स्वयं मौका निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने उक्त रास्ता कायम नहीं किये जाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिली किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त टिप्पणी शामिल

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

मिसिल की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मूर्ति मंदिर श्री बद्रीनाथ जी महाराज सतत् नाबालिग है मूर्ति मन्दिर हित क लिये जरिये महन्त यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि प्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 3184 / 1.27 के वजानिव दक्षिण अप्रार्थी का खसरा नम्बर 3260 / 4.05 में से पुराने समय से प्रार्थी आता जाता रहा है, प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी को रिटायर्ड फौजी के नाते उक्त आराजी रकवा आबंटन हुआ है, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने तहसीलदार पहाड़ी एवं उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से साठ गांठ करली है। पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. पहाडी के हावभाव एवं उनकी बातों से लगता है कि प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी के द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण करने के लिये कई बार एस.डी.ओ. से कहा गया, जिस पर वे कोई ध्यान नहीं देते हैं तथा अप्रार्थी की पैरोकारी करते हैं। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण एस.डी.ओ. पहाड़ी से मुन्तकिल कर किसी दीगर न्याालय में भेजा जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी को खेत पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 3180 जो नरेगा रोड़ सड़क से रास्ता मौजूद है। प्रार्थी गलत रुप से अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3260 में से रास्ता चाहता है। अप्रार्थी की कोई साठगांठ एस.डी.ओ. से नहीं है झुठा आरोप लगाया गया है। न्यायालय स्वंय मौका देखने जाये ऐसा कोई मैन्डेटरी प्रावधान नहीं है। प्रार्थी ने मनगढत झूठे आरोप लगाये हैं। प्रार्थी का उद्वेश्य प्रकरण का लम्वा करना है इस लिये यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली झूठे आरोप लगाकर पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019(1) पेज 258 उद्धरत किया और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। एस.डी.ओ. पहाड़ी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रार्थी मूर्ति मन्दिर श्रीबद्रीनाथ जी महाराज के लिये आने जाने के लिये रास्ता कायम किये जाने को लेकर है। एस.डी.ओ. पहाड़ी ने अपनी रिपोट में अंकित किया है कि प्रार्थी की ही आपत्ति पर तहसीलदार पहाडी से पुनः मौका रिपोर्ट मंगाई जारही है जो अभी जैरकार है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की आपत्ति पर तहत न्यायालय ने पुनः तहसीलदार पहाड़ी से मौका

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

मुन्त. प्रा0 / 64 / 2021
मंदिर मूर्ति श्रीबद्रीनाथजी महाराज बनाम लखनसिंह

रिपोर्ट मगाई गई है, तहसीलदार पहाड़ी से मौका रिपोट आनी है। प्रार्थी द्वारा यह मनगढत आरोपो पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करने की मंशा प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर